रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10122022-240978
CG-DL-E-10122022-240978

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 773]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , दिसम्बर 8, 2022/अग्रहायण 17, 1944
No. 773]	NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 8, 2022/AGRAHAYANA 17, 1944

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 866(अ)– केंद्रीय सरकार,कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 9 की उप-धारा (2) के खण्ड(क) के साथ पठित धारा 38क की उप धारा (2) के खण्ड(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी सचिव (परिषद का निर्वाचन) नियम, 2006का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ: (1) इन नियमोंका संक्षिप्त नाम कंपनी सचिव (परिषद का निर्वाचन) (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी सचिव (परिषद का निर्वाचन) नियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 2 में, उप-नियम (1) में, खंड (ख) में ,--

(i) "अनुमोदित प्ररूप", शब्दों के स्थान पर "अनुमोदित प्ररूप इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप सहित" शब्द रखे जाएंगें;

(ii) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:

(खक) "मतपत्र" सेमत डालने के प्रयोजन के लिए मुद्रित प्ररूप रूप में या इलेक्ट्रॉनिक पद्धतिमें कागज अभिप्रेत है;

(खख) "इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्लेटफ़ॉर्म" से मतदान के प्रयोजन से उपयोग किया जानेवाला एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म अभिप्रेत है, जिसमें परिषद द्वारा अनुमोदित किसी भी इलेक्ट्रॉनिक तंत्र या सॉफ़्टवेयर का पोर्टल या एप्लिकेशन या संयोजन भी है।

(खग) "मतदान" से भौतिक पद्धति या इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा मत डालना अभिप्रेत है;

(खघ) "भौतिक पद्धति द्वारा मतदान" से निर्दिष्ट मतदान केंद्र पर मुद्रित मतपत्र के माध्यम से या डाक साधनों के माध्यम से मतदान अभिप्रेत है;

(खङ) "इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा मतदान" से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्लेटफॉर्म के माध्यम से मतदान केंद्र पर दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक मतदान या मतदान अभिप्रेत है;

(खच) "मतदान केंद्र" से मतदान के प्रयोजन के लिए अभिहित केंद्र अभिप्रेत है;

(खछ) "दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक मतदान" से मतदान केंद्र से भिन्न किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्लेटफॉर्म के माध्यम से मतदान करना अभिप्रेत है।

3. उक्त नियमों में, नियम 4 में, उप-नियम (2) में, -

(i) "कम से कम भारत का राजपत्र" शब्दों के स्थान पर शब्द, " भारत के राजपत्र में दो मासकी अवधि के भीतर किन्तु, इससे अधिक नहीं", शब्द रखें जाएँगे;

(ii) खण्ड(क) में, "21", अंकों के स्थान पर, "पंद्रह" शब्द रखा जाएगा;

(iii) खंड (ङ) में, "डाक द्वारा मतदान" शब्दों के पश्चात्, "या दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक मतदान के माध्यम से" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(iv) खण्ड (च) में, "मतदाताओं से वापस", शब्दों के पश्चात्, "या दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक मतदान के लिए अंतिम तारीख और समय" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

4. उक्त नियमों में, नियम 5 में,"अप्रैलकापहला दिन" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर"जुलाई का पहला दिन" शब्द रखे जाएंगे।

5. उक्त नियमों में, नियम 6 में, -

(i) उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) नियम 4 के उपनियम (2) के अधीन अधिसूचित तारीख को याउससे पहले, निर्वाचन अधिकारी इन नियमों के उपबंधों के अधीन मतदान करने के पात्र सदस्यों की सूची प्रकाशित करेगा ।"

(ii) उपनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा,--

“(3) कॉम्पैक्ट डिस्क या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में मतदान करने के लिए पात्र सदस्यों की सूची मुख्यालय, प्रासंगिक प्रादेशिक परिषदों और उनके प्रासंगिक अध्यायों में नियम 10 में विनिर्दिष्टफीस के संदाय पर उपलब्ध कराई जाएगी।”

6. उक्त नियमों में, नियम 7 में, "अप्रैल का पहला दिन" शब्दों के स्थान पर"जुलाई का पहला दिन" शब्द रखे जाएंगे

7. उक्त नियमों में, नियम 9 में, उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् -:

“(1) परिषद्, प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या का उल्लेख करते हुएभारत के राजपत्र में एक सूचना प्रकाशित करेगी और ऐसी पद्धति में और ऐसी रीति से, जो परिषद् द्वारा निर्वाचन के लिए अवधारित की जाए, नियम 4 के उपनियम (2) द्वारा यथा विनिर्दिष्ट तारीख और समय तक अभ्यर्थियों के नामांकनों की मांग करेगी। "।

8. उक्त नियमों में, नियम 10 में, उप-नियम (2)के स्थान परनिम्नलिखित नियम रखे जाएंगें, अर्थात्:-

"(2) फीस का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट द्वारा या अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के पक्ष में संदत्त की जाएगी और नई दिल्ली में देय होगी"।

9. उक्त नियमों में, नियम 12 में, उप-नियम (11) में, "रजिस्ट्रीकृत / स्पीड पोस्ट" शब्दों और प्रतीक के स्थान पर, "रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से" शब्द रखे जाएंगे;

10. उक्त नियमों में, नियम 13 केउप-नियम (1) में, "रजिस्ट्रीकृत / स्पीड पोस्ट" शब्दों और प्रतीक के स्थान पर, "रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से" शब्द रखे जाएंगे;

11. उक्त नियमों में, नियम15 में, उप-नियम (1) में,"और साधारण डाक द्वारा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के लिए", शब्दों के स्थान पर "या इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से और निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को ईमेल के माध्यम से "शब्द रखे जाएंगे।

12. उक्त नियमों में, नियम 19 में, उप-नियम (2) और उप-नियम (3)के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियमरखे जाएंगे, अर्थात्:-

"(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, जब तक किसी निर्वाचन के संबंध में किसी मतदाता को डाकद्वारा या दूरस्थ इलेक्ट्रानिक मतदान के माध्यम से अपना मत डालने हेतु अनुज्ञात न किया गया हो, तब तक प्रत्येक निर्वाचन में जहां मतदान किया जाता है वहां मतदान गुप्त मत द्वारा किया जाएगा और किसी निर्वाचन में भौतिक रूप से मतदान के मामले में प्रत्येक मतदाता व्यक्तिगत रूप से अपना मत डालेगा और इलेक्ट्रानिक पद्धति द्वारा मतदान के मामले में, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र जिससे वह संबंध रखता है, के किसी मतदान केंद्र पर अपना मत डालेगा।"

(3) इन नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा मतदान के मामले में अनुसूची 9 के उपबंध लागू होंगे। "

13. उक्त नियमों में, नियम 21 में, परन्तुक में,-

(i) "सदस्य25", अंकों और शब्दके स्थान पर,"सदस्यसौ"शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "50 कि.मी.",अंकों और शब्द के स्थान पर, "तीस किलोमीटर" शब्द रखे जाएंगें।

14. उक्त नियमों में, नियम 25 में, पार्श्व शीर्षक में, "मतपत्र" शब्दों के पश्चात्, "भौतिक पद्धति द्वारा मतदान के मामले में" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

15. उक्त नियमों में, नियम 28 में, -

(i) पार्श्वशीर्षक में, "डाक से मत देने की पात्रता" शब्दों के स्थान पर, "डाक से या दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मत दने की पात्रता" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप-नियम (1) में, "डाक से मत देने" शब्दों के स्थान पर, "यथा स्थिति, डाक से मत देने या दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मत देने" शब्द रखें जाएंगें;

(iii) उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्: --

"(2) कोई सदस्य जो मतदान केंद्र पर मत देने का हकदार है,और यदि वह किसी स्थायी शैथिल्य से पीड़ित होने या सेवा में किसी सदस्य के मामले में, पते का स्थायी परिवर्तनके कारण,उसे आवंटित मतदान केंद्र पर अपना मत डालने में असमर्थ है तोनिर्वाचन अधिकारी द्वारा यथास्थिति, डाक द्वारा या दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मत देनेका अनुज्ञान किया जा सकेगा:

परंतु जहां कोई सदस्य अनुमोदित प्ररूप में, यथास्थिति, साठ दिनों की अवधि के भीतर डाक द्वारा मत देने या पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर दूरस्थ इलेक्ट्रानिक माध्यम से मत देने के लिए, किसी चिकित्सा व्यवसायी, जो किसी सरकारी अस्पताल में शल्य चिकित्सक की पंक्ति से नीचे का न हो, द्वारा जारी किए चिकित्सा प्रमाणपत्र के साथ ऐसे स्थायी शैथिल्य की पुष्टि करता है, या यथास्थिति, निर्वाचन की तारीख से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को स्थायी पते में परिवर्तन का सबूत उस संगठन के प्राधिकृत कार्मिक द्वारा हस्ताक्षरित जहां वह सदस्य नियोजित है, अनुज्ञा हेतु कोई आवेदन भेजता है और जहां कोई आवेदन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं हुआ हो, पर विचार नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण:-- इस खंड के प्रयोजन के लिए "सेवा में सदस्य" से संस्थान के सदस्य अभिप्रेत हैं जो किसी ऐसे संगठन में कार्यरत हैं जो फर्म नहीं है।

(iv) उप-नियम (3) में, "डाक द्वारा मत देने के लिए पात्र" शब्दों के स्थान पर "यथा स्थिति डाक द्वारा मत देने या दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मत देने के लिए पात्र," शब्द रखे जाएंगे;

16. उक्त नियमों में, नियम 29 में:-

(i) पार्श्व शीर्षक में "मतदान केन्द्रों पर मतदान की प्रक्रिया" शब्दों के स्थान पर, "भौतिक पद्धति और इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा मतदान की प्रक्रिया" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) नियम 29 के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

(1) मतदान केंद्र पर भौतिक रूप से मतदान इन नियमों की अनुसूची 6 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार होगा;

(2) मतदान केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से मतदान इन नियमों की अनुसूची 9 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार होगा।

17. उक्त नियमों में, नियम 30 में, -

(1) पार्श्व शीर्षक में, "डाक द्वारा मतदान की प्रक्रिया" शब्दों के स्थान पर "डाक द्वारा मतदान और दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान" शब्द रखे जाएंगें;

(2) “इन नियमों” शब्दों के पूर्व, "और दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक मतदान अनुसूची 9 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार होगा", शब्दरखे जाएंगें;

18. उक्त नियमों में, नियम 32 में, -

(i) "संस्थान के मुख्यालय" शब्दों के पश्चात्, "या ऐसा अन्य स्थान जो उसके द्वारा इस निमित्त विनिश्चय किया जाए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएँगे;

(ii) "लिखित" शब्दों के पश्चात् "यथा स्थिति, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से, मामला हो" शब्दरखे जाएंगें।

19. उक्त नियमों में, नियम 35 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:--

"35. मतगणना और परिणामों की घोषणा:-

(1) भौतिक रूप से मतदान के मामले में, मतगणना और परिणामों की घोषणा अनुसूची 8 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार होगी;

(2) इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा मतदान के मामले में,अनुसूची 9 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अनुसूची 8 में विनिर्दिष्टमतों की गणना और परिणाम की घोषणा की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्लेटफॉर्म के माध्यम से डाले गए मतों की गणना पर आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी। "।

20. उक्त नियमों में, अनुसूची I में, -

(i) खंड (ii) में, “और तमिलनाडु” शब्दों के स्थान पर “तमिलनाडु और तेलंगाना” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(iv) उत्तरी भारत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र: – जिसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश राज्य और चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।"

21. उक्त नियमों में, अनुसूची 2 में, -

(i) खंड 2 में,--

(क) उपखंड (vi) में, "अपने मताधिकार का प्रयोग" शब्दों के पश्चात्, "भौतिक साधन द्वारा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएँगे;

(ख) उपखंड (vi) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

“(vii) यदि किसी मतदाता को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करना है, तो संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केंद्र की संख्या और पते, जिनमें से किसी में भी मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा।";

(ii) खंड (3) में, "स्थान के संबंध में" शब्दों के स्थान पर "भौतिक पद्धति से मतदान की दशा में और स्थान के संबंध में" शब्द रखे जाएँगे;

22. उक्त नियमों में, अनुसूची 4 में, खंड2 में, उपखंड (ग) में, मद (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ii) व्यवहार में कंपनी सचिव (एकमात्र मालिक या भागीदारी में या फर्म के नाम सहित सीमित देयता भागीदारी)।"।

23. उक्त नियमों में, अनुसूची 5 में, उपखंड(2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ii) व्यवहार में कंपनी सचिव (एकमात्र मालिक या भागीदारी में या फर्म के नाम सहित सीमित देयता भागीदारी)। "।

24. उक्त नियमों में, अनुसूची6 में; खंड 7 में, उपखंड (1) में, "संस्थान के मुख्यालय" शब्दों के स्थान पर "यथास्थिति, संस्थान का मुख्यालय या संस्थान का प्रादेशिक कार्यालय" शब्द रखे जाएंगे।

25. उक्त नियमों में, अनुसूची 8 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

" अनुसूची 9

इलेक्ट्रानिक पद्धति से निर्वाचन

(नियम 4, नियम 19 का उपनियम (3), नियम 28, नियम 29, नियम 30 और नियम 35 का उप-नियम (3) देखें)

1. मतदाता को स्वीकार्य मतों की संख्या और मतदान का तरीका.--

(1) प्रत्येक मतदाता के पास केवल एक मत काअधिकार होगा, और उसके पास उतनी ही प्राथमिकताएं होंगी जितने अभ्यर्थी हैं।

(2) मतदाता अपना मत देने के लिए;-

(क) इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्लेटफॉर्म पर उस अभ्यर्थी के नाम के सामने पहली वरीयता दर्ज करेगा जिसके लिए वह पहले मत देता है; तथा

(ख) इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्लेटफॉर्म पर उप-नियम (i) के अधीन उपलब्ध वरीयताओं की अधिकतम संख्या तक, उसकी वरीयता के क्रम में अन्य अभ्यर्थी के नाम के सामने दूसरी वरीयता, तीसरी वरीयता आदि रिकॉर्ड कर सकेगा।

2. मतपत्र.--

(1) मतपत्र अंग्रेजी में वर्णमाला क्रम में, निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की एक सूची होगी और इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्लेटफॉर्म पर उसकेफोटो के साथ या उसके बिना उपलब्ध होगी।

(2) ऐसे प्रत्येक मतपत्र में संस्थान का चिन्ह ऐसी पद्धति से होगा, जो निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतपत्र की सुरक्षा संबंधी बातों को ध्यान में रखते हुए विनिश्चय किया जाए।

3. मतदान केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा मतदान की प्रक्रिया.--

(1) मतदान केंद्र पर मतदाताओं की पहचान और निविदा मतपत्र ,-

(क) मतदान केंद्र पर, मतदान अधिकारी मतदाता होने का दावा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान या हस्ताक्षर को इस तरह से सत्यापित करेगा मानो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(ख) मताधिकार करने से पहले किसी भी समय, यदि मतदान अधिकारी को किसी व्यक्ति की पहचान या उसके मतदान के अधिकार के संबंध में संदेह है, तो वह किसी भी तरीके से खुद को संतुष्ट करेगा जो वह ऐसे व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए उचित समझे।

(ग) यदि मतदान अधिकारी मत डालने के लिए सदस्य की पहचान या पात्रता से संतुष्ट नहीं है, तो वह ऐसे सदस्य को एक प्रक्रिया के माध्यम से मत डालने की अनुमति दे सकता है और ऐसा मत अलग से रखा जाएगा और मुख्यालय में सत्यापन के अधीन होगा, परंतु संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की सूची में दिखाई देने वाले उक्त सदस्य का नाम और निविदा मत की अनुमति देते हुए, मतदान अधिकारी संबंधित व्यक्ति से एक लिखित आवेदन प्राप्त करेगा।

(घ) उपखंड (ग) मेंनिर्दिष्ट मत डाले गए मतों के मुख्य आंकड़ों में संचित नहीं किया जाएगा और इसे "निविदा मतपत्र" कहा जाएगा।

(ड.) मतदान अधिकारी निविदा मतपत्र के लिए सभी आवेदनोंको लिखित रूप में अपनी टिप्पणियों को दर्ज करने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी को अपने निर्णय के लिए अग्रेषित करेगा और इस प्रकार लिया गया निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा।

(च) मतदान के दिन किसी भी मतदान केंद्र पर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्लेटफॉर्म की विफलता के मामले में, मतदान ऑफलाइन इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा।

(छ) उपपैरा (च) में विनिर्दिष्ट मत डाले गए मतों के मुख्य आँकड़ों में संचित नहीं किया जाएगा और उसे "ऑफ़लाइन मत" कहा जाएगा और यदि कोई भी मतदाता एक से अधिक बार मत डालता है तो निर्वाचन अधिकारी यह निर्णय करेगा कि ऐसे सदस्य का कौन सा मत वैध होगा।

(2) मतदान अधिकारी, मतदाता को इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्लेटफॉर्म में प्रवेश करने की अनुमति देते समय, मतदाता की उपस्थिति दर्ज करेगा और रिटर्निंगअधिकारी द्वारा निर्धारित तरीके से अपना मत डालने के लिए प्राधिकृत करेगा।

(3) मतदान केंद्र पर मतदान के लिए अधिकृत होनेकेपश्चात्मतों कोअभिलिखित करने का तरीका.-

मतदान करने के लिएप्राधिकृति या पासवर्ड प्राप्त होने पर, मतदाता तुरंत इस प्रयोजन के लिए स्थापित गुप्त कक्ष में आगे बढ़ेगा और उपरोक्त खंड (1) में विनिर्दिष्ट तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्लेटफॉर्म पर अपना मत रिकॉर्ड करेगा और उसके पश्चात् वह गुप्त कक्ष छोड़ देगा।

(4) मतदान केंद्र पर प्रक्रिया .--

(क) मतदान केंद्र को सुबह 8.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक मत दर्ज करने के लिए निर्धारित दिन के लिए खुला रखा जाएगा, जब तक कि परिषद द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया जाए।

(ख) यदि किसी मतदान केंद्र पर मतदान उस दिन नहीं होता है जिस दिन मतडालने के लिए नियत किया गया था या किसी पर्याप्त कारण से हस्तक्षेपित या बाधित किया जाता है या मतदान केंद्र पर उपयोग किए जाने वाले डेटा या उपकरण के साथ छेड़छाड़ की जाती है या गलती से या जानबूझकर नष्ट कर दिया जाता है, खो दिया जाता है या क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है, तो मतदान अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, मतदान को अगली तारीख तक स्थगित कर सकते हैं और रिटर्निंग अधिकारी ऐसे मतदान केंद्र के मतदान को शून्य घोषित कर सकते हैं और नए सिरे से मतदान का आदेश दे सकते हैं।

(ग) यदि उपखंड (ख) के अधीन मतदान स्थगित या शून्य घोषित किया जाता है, तो निर्वाचन अधिकारी यथाशीघ्र उस स्थान का निर्धारण करेगा जहां मतदान किया जाएगा और उक्त मतदान की तारीखऔर समय का निर्धारण करेगा।

(घ) उपखंड (ग) के अधीन निर्धारित मतदान का स्थान, तिथि और समय सभी प्रभावित मतदाताओं के साथ-साथ भारत के राजपत्र में व्यक्तिगत रूप से जारी किया जाएगा।

(ङ) निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केंद्र पर मतदान पूरा होने तक निर्वाचन में डाले गए मतों की गणना के लिए आगे नहीं बढ़ेगा।

(च) मतदान के पहले दिन मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र खोले जाने से ठीक पहले, मतदान अधिकारी यथा स्थिति किसी अभ्यर्थी या उसके प्राधिकारीके प्रतिनिधि की उपस्थिति में, जो उपस्थित हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्लेटफॉर्म में लॉग इन करेगा।

(छ) मतदान अधिकारी दिन के अंत में मतदान केंद्र को बंद कर देगा, या यदि मतदान एक दिन से अधिक के लिए है, तो उपखंड (क) के अधीननिर्धारित समय पर, उस घंटे के पश्चात् किसी भी मतदाता को उसमें प्रवेश नहीं दिया जाएगा: परंतु मतदान केंद्र को बंद करने से पहले उसमें विद्यमान मतदाता, अपना मतडालने का हकदार होगा।

(ज) मतदान अधिकारी, मतदान की समाप्ति के पश्चात् या प्रत्येक दिन इसके समापन के पश्चात्यथा शीघ्र, यदि मतदान एक दिन से अधिक समय के लिए है, तो किसी भी अभ्यर्थी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में, जो उपस्थित हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्लेटफॉर्म से लॉग ऑफ करेगा;

(झ) मतदान अधिकारी मतदान के अंत में या इसके समापन के पश्चात् प्रत्येक दिन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्धारित रिपोर्ट, बयान और डेटा उत्पन्न करेगा और अपनी मुहर के साथ एक पैकेट में सील करेगा।

(ञ) जहां मतदान एक दिन से अधिक समय तक होने की व्यवस्था की जाती है, वहां मतदान अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्लेटफॉर्म और ऐसे दस्तावेजों वाले पैकेटों की सुरक्षित अभिरक्षा की व्यवस्था करेगा, जो पहले दिन मतदान समाप्त होने के पश्चात्रिटर्निंग अधिकारी द्वारा आवश्यक हैं और अगले दिन मतदान प्रारंभ करेंगे।

(ट) जहां मतदान की व्यवस्था एक दिन से अधिक समय तक की जाती है, अगले दिन मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र खोले जाने से ठीक पहले, मतदान अधिकारी किसी भी उम्मीदवार या उसके प्राधिकारीके प्रतिनिधि की उपस्थिति में, जो उपस्थित हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्लेटफॉर्म में लॉग इन करेगा;

(ठ) खंड (ञ) में विनिर्दिष्ट पैकेट रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा ऐसी रीति से रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्धारितकिए जाएंगे।

(5) अमान्य इलेक्ट्रॉनिक मतपत्र .-

जहां कोई मतदाता इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्लेटफॉर्म में प्रवेश करने के पश्चात् मतदान नहीं करने का विकल्प चुनता है, वहां उसके इलेक्ट्रॉनिक मतपत्र को अमान्य माना जाएगा और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा और उसे फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक मतदान के लिए प्रक्रिया.--

(1) इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए निर्वाचन की तारीख को इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्लेटफॉर्म तक पहुंच की अनुमति दी जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्लेटफॉर्म को दूरस्थ मतदान के लिए चौबीस घंटे से अधिक नहीं खुला रखा जाएगा जब तक कि परिषद द्वारा अन्यथा निर्धारित न किया जाए।

(2) पात्र मतदाता इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्लेटफॉर्म पर किसी भी स्थान से अपना मतदे सकता है और इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकता है, ऐसे मतदाता को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्धारित ईमेल या संस्थान के साथ रजिस्ट्रीकृत मोबाइल संख्या के माध्यम से पासवर्ड प्रदान किया जाएगा।

(3) यदि दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक मतदानमतों की रिकॉर्डिंग के लिए नियत दिन पर नहीं होती है या इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्लेटफॉर्म के गैर-कामकाज या खराबी के कारण हस्तक्षेपित या बाधित होती है या दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक मतदान के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा के साथ छेड़छाड़ की जाती है या गलती से या जानबूझकर नष्ट कर दिया जाता है, खो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो रिटर्निंग अधिकारी मतदान को पश्चात् की तारीख तक स्थगित कर सकता है या रिटर्निंग अधिकारी मतदान को शून्य घोषित कर सकता है औरएक नया मतदान और जितनी जल्दी हो सके, उक्त मतदान के लिए तारीख और समय, यथा स्थिति, नियत करें और इस प्रकार नियुक्त मतदान की तारीख और समय सभी प्रभावित मतदाताओं को व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जाएगा और साथ ही भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

5. मतगणना और परिणामों की घोषणा की प्रक्रिया। --

(1) मतदान पूरा होने के पश्चात्, ऑफ़लाइन इलेक्ट्रॉनिक मतदान, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मतदान और अनुमोदित निविदा मतों के माध्यम से डाले गए सभी मतों को संकलित और समक्रमिक बनाया जाएगा;

(2) मतों की गणना इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल रूप से की जाएगी;

(3) मतगणना के लिए इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्लेटफार्म पर लॉग इन अभ्यर्थी या उसके प्राधिकारी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जाएगा जो स्थल पर उपस्थित होने का विकल्प चुनते हैं।

[फा. सं. 3/2/2021-पीआई]

इन्द्र दीप सिंह धारीवाल, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 553 (अ), तारीख 05 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, तत्पश्चात अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 552 (अ) तारीख 23.07.2008 द्वारा संशोधित किए गए और अंतिम बार शुद्धिपत्र सं. सा.का.नि. 373(अ) तारीख 9 मई, 2011 के साथ पठित अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 111 (अ) तारीख 25 फरवरी, 2011 द्वारा संशोधन के जरिए भारत के राजपत्र, असाधारण तारीख 10 मई, 2011 में प्रकाशित किए गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 2022

G. S.R. 866 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 38A read with clause (a) of sub-section (2) of section 9 of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Company Secretaries (Election to the Council) Rules, 2006.namely: —

1. Short title and commencement: (1) These rules may be called the Company Secretaries (Election to the Council) (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Company Secretaries (Election to the Council) Rules, 2006 (hereinafter referred to as the saidrules), in rule 2, in sub-rule (1), in clause (b),--

(i) for the words, "form approved,", the words, "form including electronic form approved" shall be substituted;

(ii) after clause (b) , the following clauses shall be inserted, namely:

(ba) "ballot paper" means paper in printed form or in electronic mode for the purpose of casting of vote;

(bb) "Electronic Voting Platform" means a secured electronic platform used for the purpose of voting, including portal or application or combination of any of the electronic system or software as approved by the Council.

(bc) "voting" means casting of vote by physical mode or electronic mode; (bd) "Voting by physical mode" means voting through printed ballot paper at designated polling booth or through postal means;

(be) "Voting by electronic mode" means remote electronic voting or voting at polling booth through any electronic voting platform;

(bf) "polling booth" means a booth designated for the purpose of voting;

(bg) "remote electronic voting" means voting through electronic voting platform from any location other than polling booth.

3. In the said rules, in rule 4, in sub-rule (2),—

(i) for the words "Gazette of India at least", the words, "Gazette of India within a period of two months but, not exceeding," shall be substituted;

(ii) in clause (a), for the figures,"21", the word, "fifteen" shall be substituted;

(iii) in clause (e), after the words "vote by post", the words, "or through remote electronic voting" shall be inserted;

(iv) in clause (f), after the words, "back from voters", the words, "or last date and time for remote electronic voting" shall be inserted;

4. In the said rules, in rule 5,for the figure, letters and words, "1st day of April" the figure, letters and words "1st day of July"shall be substituted.

5. In the said rules, in rule 6, —

(ii) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) On or before the date notified under sub-rule (2) of rule 4, the Returning Officer shall publish a list of members eligible to vote under the provisions of these rules."

(ii) forsub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted,--

"(3) The list of members eligible to vote in Compact Disc or any other electronic form shall be made available at the Headquarters, relevant Regional Councils and their relevant chapters on payment of such fee as specified in rule 10."

6. In the said rules, in rule 7, for the figure, letters and words "1st day of April" the figure, letters and words "1st day of July"shall be substituted

7. In the said rules, inrule 9, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely -:

"(1) The Council shall publish a notice in the Gazette of India mentioning the number of members to be elected from each regional constituency and calling for nominations of candidates in such mode and in such manner as may be determined by the Council for election by the date and time as specified in vide sub-rule (2) of rule 4.".

8. In the said rules, in rule 10, for sub-rule (2),the following shall be substituted, namely:-

"(2) The fee shall be paid by demand draft or through other electronic means in favour of The Institute of Company Secretaries of India and payable at New Delhi".

9. In the said rules, in rule 12, in sub-rule (11), for the words and symbol "registered/speed post", the words, "registered post or speed post or through electronic means" shall be substituted;

10. In the said rules, inrule 13in sub-rule (1), for the words and symbol "registered/speed post", the words, "registered post or speed post or through electronic means" shall be substituted;

11. In the said rules, inrule 15, in sub-rule (1), for the words, "and to the voters of the constituency by ordinary post", the words "or through electronic means and to the voters of the constituency through email" shall be substituted.

12. In the said rules, inrule 19, for sub-rules(2) and (3), the following sub-rules shall be substituted, namely,:-

"(2) Except as otherwise provided, at every election where a poll is taken, vote shall be given by secret ballot and every voter in any election in case of voting by physical mode shall cast his vote personally at the allocated polling booth only and in case of voting by electronic mode at any polling booth in the regional constituency which he belongs, unless a voter is allowed in respect of any election to cast his vote by post or through remote electronic voting as hereinafter provided.

(3) Subject to other provisions of these rules, provisions of Schedule 9 shall apply in case of voting by electronic mode."

13. In the said rules, in rule 21, in the proviso,-

(i) for the figures and word,"25 members", the words, "hundred members" shall be substituted;

(ii) for the figures and word,"50 Kilometers", the words, "thirty kilometers" shall be substituted.

14. In the said rules, in rule 25, in the marginal heading, after the words "Ballot Paper", the words "in case voting by physical mode" shall be inserted;

15. In the said rules, in rule 28, —

(i) in the marginal heading, after the words " Eligibility to vote by post", the words "and through remote electronic voting" shall be inserted;

(ii) in sub-rule (1), after the words "vote by post", the words, "or through remote electronic voting as the case may be" shall be inserted;

(iii) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely: --

"(2) A member who is entitled to vote at a polling booth may be permitted by the Returning Officer to vote by post or through remote electronic voting, as the case may be, if by reason of his suffering from any permanent infirmity or, in case of a member in service, a permanent change of address, unable to cast his vote at the polling booth allotted to him:

Provided that where the member sends an application in the approved Form for permission to vote by post within a period of sixty days or through remote electronic voting within a period of forty five days as the case may be,along with the medical certificate issued by a medical practitioner not below the rank of a Surgeon of any Government Hospital, confirming such permanent infirmity, or, as the case may be, proof of permanent change in address signed by an authorised personnel of the organisation where the member is employed, to the Returning Officer before the date of election and where no application received within the specified period shall not be considered.

Explanation:-- "member in service" for the purpose of this section means members of the institute who are employed in an organization not being a firm.

(iv) in sub-rule (3), after the words "eligible to vote by post" the words "or through remote electronic voting, as the case may be," shall be inserted;

16. In the said rules, inrule 29:—

(i) in the marginal heading for the words, "procedure of voting at the polling booth" the words, "procedure of voting by physical mode and electronic mode" shall be substituted;

(ii) for rule 29, the following sub-rule shall be substituted, namely:--

"(1) voting by physical mode at a polling booth shall take place as per procedure laid out in the Schedule 6 to these rules;

(2) voting by electronic mode at a polling booth shall take place as per procedure laid out in Schedule 9 to these Rules."

17. In the said rules, in rule 30, —

(3) in the marginal heading, after the words, "Procedure of voting by post" the words, " and through remote electronic voting" shall be inserted;

(4) before the words, "to these Rules", the words "and remote electronic voting shall take place as per procedure laid out in Schedule 9", to these Rules shall be inserted;

18. In the said rules, in rule 32,-

(i) after the words "headquarters of the Institute", the words "or such other place as may be decided by him in this behalf" shall be inserted;

(ii) after the words, "in writing" the words, "or through electronic mean, as the case may be" shall be inserted;

19. In the said rules, forrule 35, the following rule shall be substituted, namely: --

"35. Counting of votes and declaration of results:-

"(1)In case of Voting in physical mode, counting of votes and declaration of results shall take place as per procedure laid down in Schedule 8;

(2) In case of voting by electronic mode, except as otherwise provided in Schedule 9, the procedure for counting of votes and declaration of result as specified in Schedule 8 shall apply mutatis mutandis to the counting of votes cast through electronic voting platform.".

20. In the said rules, in ScheduleI, —

(i) in clause (ii), for the words," and Tamil Nadu" the words, "Tamil Nadu and Telangana" shall be substituted;

(ii) for clause (iv), the following clause shall be substituted, namely:-

"(iv) Northern India Regional Constituency:— Comprising the States of Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttarakhand, Uttar Pradesh and the Union territories of Chandigarh, Delhi, Jammu and Kashmir and Ladakh."

21. In the said rules, in Schedule2,—

(i) inclause 2,--

(a) in sub-clause (vi), after the words, "exercise his franchise", the words "by physical mode" shall be inserted;

(b) after sub-clause (vi), the following sub-clause shall be inserted, namely:--

"(vii) in case a voter is to exercise his franchise through electronic mode, the number and addresses of polling booth in the concerned regional constituency, in any of which the franchise shall be exercised.";

(ii) in clause (3), for the words, "in respect of place" the words "in case of voting by physical mode and in respect of place" shall be substituted;

22. In the said rules, in Schedule 4, inclause 2, in sub-clause (c),for item (ii), the following shall be substituted, namely:-

"(ii) Company Secretary in Practice (sole proprietor or in partnership or Limited Liability Partnership including the name of the firm).".

23. In the said rules, in Schedule 5, inclause (j), for sub-clause (ii),the following sub-clause shall be substituted, namely:-

"(ii) Company Secretary in Practice (sole proprietor or in partnership or Limited Liability Partnership including the name of the firm).".

24. In the said rules, in Schedule 6; in clause 7, in sub-clause (1) for the words," the headquarters of the Institute", the words, "the headquarters of the Institute or Regional Office of the Institute, as the case may be," shall be substituted.

25. In the said rules, after Schedule 8, the following Schedule shall be substituted, namely:-

“ **SCHEDULE 9**

Election through Electronic Mode

(See rule 4, sub-rule (3) of rule 19, rule 28, rule 29, rule 30 and rule 35)

1. Admissible number of votes to a voter and method of Voting.--

(1) Every voter shall have one vote only, and he shall have as many preferences as there are candidates.

(2) The voter in order to cast his vote;-

(a) shall record on the electronic voting platform the first preference against the name of the candidate for whom he votes first; and

(b) may, in addition, record on the electronic voting platform the second preference, third preference and so on against the name of other candidate in the order to his preference, upto the maximum number of preferences available to him under sub-rule (i).

2. Ballot papers.--

(1) The ballot paper shall be, in alphabetical order in English, a list of the candidates nominated for a constituency and shall be available seriatim with or without his photo on the electronic voting platform.

(2) Each such ballot paper shall contain the Institute’s emblem in such manner, as may be decided by the Returning Officer having regard to the security considerations of the ballot paper.

3. Procedure for voting by electronic mode at polling booth.--

(1) Identification of voters at the polling booth and Tendered ballot,-

(a) At the polling booth, the polling officer shall verify the identity or signature of every person claiming to be a voter in such manner as may be specified by the Returning Officer.

(b) At any time before giving the authorisation to vote, if the polling officer has doubt with regard to the identity of any person or his right to vote, he shall satisfy himself in any manner as he may deem fit as to establish the identity of such person.

(c) If the polling officer is not satisfied with the identity or eligibility of member to cast vote, he may allow such member to cast vote through a process and such vote shall be retained separately and subject to verification at headquarters provided that name of said member appearing in list of voters of concerned regional constituency andbefore allowing tender vote, the polling officer shall obtain a written application from the person concerned.

(d) The vote as referred to in sub-clause (c) shall not be accumulated into the main data of the votes cast and shall be termed as “Tendered ballot”.

(e) The polling officer shall forward all the applications for tender ballot after recording in writing his own observations to the Returning Officer for his decision and his decision so taken shall be final and conclusive.

(f) In case of failure of online Electronic Voting Platform at any polling booth on day of voting, polling shall be done on offline Electronic Voting Platform.

(g) The vote as referred to in sub-paragraph (f) shall not be accumulated into the main data of the votes cast and shall be termed as “Offline Vote” and if any voter casts vote more than one time, Returning Officer shall decide which vote of such member shall be valid.

(2). The polling officer shall, at the time of allowing a voter to enter into the electronic voting platform, record the attendance of voter and authorise him to cast his vote in such manner as determined by the Returning Officer.

(3). Manner of recording of votes after getting authorisation to vote at polling booth.-

upon receipt of authorisation or password to cast vote, the voter shall forthwith proceed into the secret chamber set-up for the purpose and shall record his vote on the electronic voting platform in the manner referred to in clause (1) above and thereafter he shall leave the secret chamber.

(4) Procedure at polling booth.--

(a) The polling booth shall be kept open for the day determined for recording of votes from 8.00 a.m. to 7.00 pm. unless otherwise directed by the Council.

(b) If the polling at any polling booth does not take place on the day appointed for casting of votes or interrupted or obstructed due to any sufficient cause or the data or device used at booth is tampered with or accidentally or deliberately destroyed, lost or damaged, the polling officer may, with prior approval of the Returning Officer, adjourn the polling to a subsequent date and Returning Officer may declare the polling ofsuch polling booth as void and order for a fresh polling.

(c) If polling is adjourned or declared void under sub-clause (b), the Returning Officer shall, as soon as possible, determine the place where the polling shall be conducted and the date and time for the said polling.

(d) The place, date and the time of polling determined under sub-clause (c) shall be issued individually to all voters affected as well as in the Gazette of India.

(e) The Returning Officer shall not proceed to count the votes cast at the election until the polling at the polling booth in the constituency has been completed.

(f) Just before polling booth is opened to the voters on the first day of polling, the Polling Officer in the presence

of a candidate or hisauthorised representative,as the case may be, who may be present shall log in into electronic voting platform.

(g) The polling officer shall close the polling booth at the end of the day, or if the polling is for more than one day, at the end of each day, at the hour determined under sub-clause (a), no voter shall be admitted thereto after that hour: Provided that a voter present in the polling booth before it is closed, shall be entitled to have his vote recorded.-

(h) The polling officer shall, as soon as practicable after the close of poll or after its close on each day, if the polling is for more than one day, in presence of any candidate or his authorized representative who may be present, log off from the electronic voting platform;

(i) The polling officer shall at the end of poll or after its close on each day generate reports, statements and data as determined by the Returning Officer and seal in a packet with his own seal.

(j) Where the polling is arranged to take place for more than one day, the Polling Officer shall arrange for safe custody of the electronic voting platform and packets containing such documents as required by the Returning Officer after the end of polling on first day and start the polling on the next day.

(k) Where the polling is arranged to take place for more than one day, just before the polling booth is opened to the voters on the following day, the polling officer shall in presence of any candidate or hisauthorised representative who may be present, shall log in into electronic voting platform;

(l) The packets referred in clause (j) shall be decided by Returning Officer in such manner as determined by the Returning Officer.

(5) Invalid electronic Ballot Paper.—

Where a voter, after entering into the electronic voting platform, chooses not to vote, his electronic ballot paper shall be deemed to be invalid and shall be rejected by the Returning Officer and he shall not be permitted to vote again.

4. Procedure for Remote Electronic Voting.--

(1) Access to the electronic voting platform shall be allowed on the date of election issued for this purpose and Electronic voting platform shall be kept open for remote voting for not more than twenty four hours unless otherwise determined by the Council.

(2) Eligible voter may cast his vote from any location on the Electronic Voting Platform andto access the electronic voting platform, such voter shall be provided with a password through email or mobile number registered with the Institute, as determined by the Returning Officer.

(3) If Remote Electronic Voting does not take place on the day appointed for recording of votes or interrupted or obstructed due to non-functioning or malfunctioning of Electronic Voting Platform or the data used for Remote Electronic Voting is tampered with or is accidentally or deliberately destroyed, lost or damaged, the Returning Officer may adjourn the polling to a subsequent date or Returning Officer may declare the polling void and order for a fresh polling and as soon as possible, appoint the date and time, as the case may be, for the said polling andthe date and the time of polling so appointed shall be intimated individually to all voters affected as well as published in the Gazette of India.

5. Procedure for counting of votes and declaration of results.--

(1) After completion of polling, all the votes' cast through Offline Electronic Voting, Online Electronic Voting and approved tendered votes shall be compiled and synchronized;

(2) Counting of votes shall be done digitally through Electronic Voting Platform;

(3) Log in to Electronic Voting Platform for counting of votes shall be done in presence of the candidate or hisauthorised representative who opt to be present at the venue.

[F. No. 3/2/2021-PI]

INDER DEEP SINGH DHARIWAL, Jt. Secy.

Note: The principal rule was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 553(E) dated 05th September, 2006, amended vide notification number G.S.R. 552(E) dated 23.07.2008 and last amended vide notification number G.S.R. 111(E) dated 25th February, 2011 read with Corrigendum No. G.S.R. 373(E) dated 09th May 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary dated 10th May, 2011.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.12.10 16:17:29 +05'30'